## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विमाग

## अधिसूचना

संख्या-11न०वि०/(मा०प्लान)-13/2014 न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक - \$1 78 19, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा बोधगया आयोजना क्षेत्र का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कारवाई के लिए आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो वोघगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा : -

(i)	प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया	-	अध्यक्ष
(ii)	जिलाधिकारी, गया	_	उपाध्यक्ष
(iii)	मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन	_	सदस्य
	या उनका प्रतिनिधि,		
(iv)	ं नगर आयुक्त, नगर निगम, गया	-	सदस्य
(v)	उप विकास आयुक्त, गया		सदस्य
(vi)	अपर समाहर्ता (राजस्व), गया	-	सदस्य
(vii)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,		सदस्य
	पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गया		
(viii)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,	-	सदस्य
	, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, गया		
(ix)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,	_	सदस्य
()	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गया		
(x)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया	_	सदस्य
(xi)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनिधक वैसे व्यक्ति	-	सदस्य
(111)	जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो,		
(xii)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,	-	सदस्य सचिव
	बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार.		
	उपरोक्त उपकंडिका (xi) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर वि	वेकास एवं	आवास विभाग
	A A A A A A		

द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, गया, इस आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव होंगे। तत्काल अनुमण्डल पदाधिकारी, गया का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा।

यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

प्रधान सचिव.

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—11न०वि०/(मा०प्लान)—13/2014 73 9 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक अ०ि०) प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियों कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय

प्रधान सर्विव,

ज्ञापांक—11न०वि०/(मा०प्लान)—13/2014 न उन्न /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक ।) ) प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के सभी सदस्य/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया / जिलाधिकारी, गया / मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग / नगर आयुक्त, नगर निगम, गया / उप विकास आयुक्त, गया / अपर समाहर्त्ता (राजस्व), गया / सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गया / सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, गया / सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गया / अनुमण्डल पदाधिकारी, गया / कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया नगर पंचायत / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/सभी संबंधित अंचलाधिकाफ्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान समिव प्रधान समिव अक्ष

# Government of Bihar Urban Development & Housing Department

#### **NOTIFICATION**

No.-11/निवर्ग / माव्यान (आव्होंव)—01/2013... 7.4.9.../UD&HD, Patna, Dated. २१ वर्ष विवार in exercise of the powers conferred by Section - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Govt. of Bihar, to prepare Master Plan and other Development Plans of Bodhgaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as "Bodhgaya Planning Area Authority" and it shall be constituted consisting of the followings:-

TOTAL .			
(i)	Divisional Commissioner, Magadh Division, Gaya	_	Chairman
(ii)	District Magistrate, Gaya		Vice Chairman
(iii)	Chief Town Planner or representative,	-	Member
	Town and Country Planning Organisation		
(iv)	Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Gaya	-	Member
(v)	Deputy Development Commissioner, Gaya	-	Member
(vi)	Additional Collector (Revenue), Gaya	-	Member
(vii)	Concerned Executive Engineer,	-	Member
	Road Construction Department, Road Division, Gaya		
(viii)	Concerned Executive Engineer,	-	Member
	Public Health Engineering Department, Public Health Division, Gaya		
(ix)	Concerned Executive Engineer,	-	Member
	Rural Works Department, Works Division, Gaya		
(x)	Executive Officer, Nagar Panchayat Bodhgaya	-	Member
(xi)	Persons who possess special knowledge or practical		Member
	experience in town planning appointed by State		
	Government not exceeding two		
(xii)	Chief Executive Officer,	-	Member Secretary
	Bodhgaya Planning Area Authority		
	Name of persons mentioned in sub clause (xi) shall be notified by the	Urban	Development and

Name of persons mentioned in sub clause (xi) shall be notified by the Urban Development and Housing Department.

- Sub Divisional officer, Gaya shall be the Chief Executive Officer cum Member Secretary of this Planning Authority. Office of the Sub Divisional officer, Gaya shall be the office of the Authority at present.
- 3. The Authority shall exercise the powers prescribed in the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014 for execution of its duties.

This notification will come into force at once.

By order of the Governor of Bihar,

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No.-11/निर्णति / मार्ग्लान (आर्थिर) —01/2013... 7.40....../UD&HD/Patna, dated २! व्याप्ति विकास विकास

Principal Secretary,

Memo No.-11/ नordo/ माठप्तान(आठके)—01/2013....740...../UD&HD/Patna, dated 21/08/2017
Copy to- Chief Secretary, Bihar/ Development Commissioner, Bihar/All members of the
Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Magadh Division, Gaya /
District Magistrate, Gaya/ Chief Town Planner, Town and Country Planning Organization, Urban
Development and Housing Department/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation,
Gaya/Deputy Development Commissioner, Gaya/ Additional Collector (Revenue), Gaya/ Concerned
Executive Engineer, Road Construction Department, Road Division, Gaya/ Concerned Executive
Engineer, Public Health Engineering Department, Public Health Division, Gaya/ Concerned Executive
Engineer, Rural Works Department, Works Division, Gaya / Sub Divisional officer, Gaya/ Executive
Officer, Nagar Panchayat Bodhgaya / P.S Hon'ble Minister, UD&HD /All concerned Circle officers for
kind information and necessary action.

Principal Secretary,

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विमाग

## अधिसूचना

संख्या— 186 न०वि० एवं आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—9 सह—पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम—9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से बोधगया अवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महाबोधि मंदिर परिसर एवं इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं पुरातात्विक विरासतों के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से बोधगया का महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे बोधगया आयोजना क्षेत्र कहा जायगा। जिसकी स्थानीय सीमाएं निम्नलिखित हैं —

उत्तर - पूर्वी भाग में बोधगया प्रखण्ड के मनकोसी से परैवा, गया प्रखण्ड के खैयावन, डुवानल एवं बोधगया प्रखण्ड के धनावन से होते हुए पश्चिमी भाग में टिकुना तक;

दक्षिण — पूर्वी भाग में बोधगया के राजस्व ग्राम नरकिटया से शिवराजपुर, बभनी, सखवारा से होते हुए पश्चिम भाग में तुरी खुर्द तक;

पूरब — उत्तरी भाग में बोधगया के परैवा, मनकोसी, छाँछ होते हुए दक्षिणी भाग में नरकटिया तक;

पश्चिम — उत्तरी भाग में बोधगया के धनवाँ से जहानविधा, टिकुना, अमरबिधा, मुसदपुरा से होते हुए दक्षिण भाग में पथालगढ़ तक।

बोध गया आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 83.75 वर्ग कि०मी० है, इस आयोजना क्षेत्र में एक शहरी प्रशासनिक इकाई तथा 33 राजस्व ग्राम शामिल हैं, जिसमें बोधगया नगर पंचायत के सभी क्षेत्र, बोधगया प्रखण्ड के तीस ग्रामीण राजस्व इकाईयाँ तथा गया प्रखण्ड के तीन ग्रामीण राजस्व इकाईयाँ है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची—I, आयोजना क्षेत्र के शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची—II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी अनूसूची—III के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य नियमानुकूल कारवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर के लिए प्रस्तावित नये स्थल प्रबन्धन योजना के यथावांछित विन्दुओं का समावेश मास्टर प्लान में किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विमाग, ज्ञापांक —11/न०वि०(मा०प्लान)—13/2014.........../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक— 💭 🕽 🌡 ६ प्रतिलिपि —अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई—गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव, 21.3.16

प्रधान सचिव, १ ७.८.७

#### Government of Bihar Urban Development & Housing Department

#### NOTIFICATION

No. 187....., UD&HD, In exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Govt. of Bihar, in consultation with the Bihar Urban Planning and Development Board with the objective of integrated and planned development of Mahabodhi Mandir premises of international importance as well as areas of important historical, tourism, religious, cultural, educational and archaeological heritages, situated in Bodhgaya, declares as follows the planning area, to prepare development plan of Bodhgaya, to be known as Bodhgaya Planning Area. Local boundary of which are as follows -

In the Eastern part from Mankosi via Parewa of Bodhgaya Block through North -Khaiyawan, Dubhanal of Gaya Block, Dhanawan of Bodhgaya Block upto Tikuna in the Western part.

In the Eastern part from revenue village Narkatiya via Shivrajpur, Babhani passing Souththrough Sakhwara upto Turi Khurd of Bodhgaya Block in the Western part.

In the Northern part from Parewa of Bodhgaya through Mankosi, Chhanchh upto East -Narkatiya in the Southern part.

In the Northern part from Dhanawan of Bodhgaya Block through Tikuna, Jahan West -Bigha, Amar Bigha, Dhandhawan upto Pathalgarh of Bodhgaya Block in the Southern part.

Total Area of Bodhgaya Planning Area is 83.75sq.km, there are one urban administrative unit and 33 revenue villages in this Planning Area. Which includes all areas of Bodhgaya Nagar Panchayat, 30 revenue villages of Bodhgaya Block and 3 rural revenue villages of Gaya Block.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units as Appendix-II, names and population details of Urban Administrative Unit and Rural Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

Points of proposed New Site Management Plan of Bodhgaya Mahabodhi Temple Complex shall be incorporated in the Master Plan as required.

By the order of Governor,

21:3.16 Amrit Lal Meena)

Principal Secretary

ло No. -11/नоविo(माoप्लान)— 3/2014 187 /UD&HD/Patna, dated 2012 16 -Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use


immediately.

Memo No. -11/नoविo(माoप्लान)—13/2014 . । अने /UD&HD/Patna, dated . । ३०।३।।६

Copy to -Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Gaya/ District Magistrate, Gaya/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation Gaya/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Executive officer, Nagar Panchayat, Bodhgaya / Circle officers of the concerned area for kind information and necessary action.

Principal Secretary 3-16

## अनुसूची-।



अनुसूची—II बोधगया आयोजना क्षेत्र के प्रशासनिक एवं राजस्व गाँवों का विवरण (घटकें)

		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		
क्र॰ सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण राजस्व इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि॰मी॰)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि॰मी॰)	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
	बोधगया	30	59.20	01	20.20	79.40
1		03	04.35	6.		04.35
2	गया			01	20.20	83.75
क	ल योग	33	63.55	01	20.20	03.75

920/10/18/16

अनुसूची—III (बोधगया आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व गाँवों एवं शहरी प्रशासनिक इकाई के नाम एवं आबादी का विवरणी)

1	Block	के नाम एवं आबादा का प	Area (in Ha.)	Population (as per Census 2011)	
	Block		85	807	
	Bodhgaya	Amar Bigha	20.9	759	
	Bodhgaya	Jahan Bigha	146	2240	
	Bodhgaya	Dhanawan	132	1758	
	Bodhgaya	Tikuna	184	2229	
	Bodhgaya	Musatpura	304	2465	
3	Bodhgaya	Ratnara Ganga Bigha	246	3798	
7	Bodhgaya	Bakraur	93	1508	
3	Bodhgaya	Turi Buzurg	62	783	
9	Bodhgaya	Mahurar	75	809	
0	Bodhgaya	Bhalua	156	1510	
1	Bodhgaya	Kolhaura	199	2060	
2	Bodhgaya	Dhandhawa	73	0	
13	Bodhgaya	Lohara	295	2790	
14	Bodhgaya	Parariya		1983	
15	Bodhgaya	Parewa	289	593	
16	Bodhgaya	Parsawan	-62	0	
17	Bodhgaya	Sakhwara	82	981	
18	Bodhgaya	Pathalgarh	70	668	
19	Bodhgaya	, Turi Khurd	119	9808	
20	Bodhgaya	Mocharim	1165	1486	
21	Bodhgaya	Babhni	97	1671	
22	Bodhgaya	Narkatiya	101.57	1777	
23	Bodhgaya	Niman .	263	1555	
24	Bodhgaya	Shivrajpur	37	2867	
25	Bodhgaya	Hathiar	241	1785	
26	Bodhgaya	Silaunja	199	2099	
27	Bodhgaya	Bataspur	211	2216	
28	Bodhgaya	Chhanchh	240	2115	
29	Bodhgaya	Moratal	324	2867	
	Bodhgaya	Mankosi	350	57987	
30 Sub	Total		5919.47	995	
	7	Dubhanal (part)	104.13		
31	Gaya	Khaiyawan	273.62	2839	
32	Gaya	Bajidpur	57.44	412	
33	Gaya	Dojopa	435.19	4246	
Sub	Total	Total (Rural Area)	6354.66	62233	
Bodhgaya Nagar Panchayat			2020.43	38439	
	Bodnga	aya Planning Area	8375.09	100672	

3m 19/2/10

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विमाग

### अधिसूचना

संख्या—11न०वि०आ०क्षे०—13 / 2014. 78 5 न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक - 2/ 04.2018

बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपविधि-1(2)(v)(vi) में उपबंधित के अनुरूप राज्य सरकार एतद् द्वारा बोधगया आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भवन सम्बन्धी क्रियाकलापों को विनियमित करने के उद्देश्य से बिहार भवन उपविधि, 2014 का कार्यान्वयन अधिसूचित करती है।

बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इन क्षेत्रों में

भवन / लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

इन क्षेत्रों में भवन योजना/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदन बोधगया

आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी योजना की स्वीकृति के पूर्व आवश्यक जाँच / सत्यापन करेंगे एवं संतुष्ट हो लेंगे कि आवेदित योजना बिहार भवन उपविधि-2014, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप है।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक सत्यापन एवं जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त भवन/लेआउट योजना के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बोधगया आयोजना क्षेत्र में शामिल शहरी क्षेत्र में भवन/लेआउट योजना के नक्शे की स्वीकृति हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 पूर्व से प्रभावी है। इन क्षेत्रों में नक्शों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी पूर्ववत् सक्षम प्राधिकार रहेंगे।

बिहार राज्यपाल कि आदेश से।

(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक—11न०वि०/(मा०प्लान)—13/2014 785/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-*02/ए* 🐓 2018 प्रतिलिपि-अध्यक्ष, बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार-सह-प्रमण्डलीय आयुक्त, मगर्ध प्रमण्डल, गया/उपाध्यक्ष, बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार-सह जिलाधिकारी, गया/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार/सभी सदस्य, ब्रियम्या आयोजना क्षेत्र प्राधिकार / सभी संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेत्.

> 28/3/2018 प्रधान सचिव.

ज्ञापांक—11न०वि० / (मा०प्लान)—13 / 2014 <u>785</u> / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक—१२ 2018 प्रतिलिपि—अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, र्

कोषांग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एकं अनवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

ज्ञापांक—11न०वि० / (मा०प्लान)—13 / 2014 ) 8 ... / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक ? ... / क.2018 प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार—सह—अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी सदस्य, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / स्प्री प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—11न०वि० / (मा०प्लान)—13 / 2014 📑 🔊 / न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 🦃 👂 2018 प्रतिलिपि—भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकार, बिहार / विशेष कार्य पदाधिकारी, भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत / सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव.

#### Government of Bihar Urban Development & Housing Department

#### **NOTIFICATION**

No.-11नoविo / (माठप्लान)-13 / 2014. 786 / UD&HD, Patna, Dated-१३/५५/३ in accordance with the provisions made in Bye Laws, 2014 No.-1(2)(v)(vi) of Bihar Building Bye Laws, 2014, the State Government, for the purpose of regulation of building construction activities in the Gram Panchyat Area(s) of Bodhgaya Planning Area, do hereby, notify implimentation of Bihar Building Bye Laws, 2014.

- 2. The Chief Executive Officer of Bodhgaya Planning Area Authority shall be the Competent Authority for sanctioning of Building/Layout Plans in theses areas.
- 3. The application for Building/Layout Plan in these area shall be received in the office of Bodhgaya Planing Area Authority.
- 4. Before sanctioning of Plan, the Chief Executive Officer, shall do required verification/inspection and satisfy himself that the applied plan is in accordance with the provistions made in Bihar Building Bye Laws-2014, Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014.
- 5. After due verification and completing the process of enquiry, the Chief Executive Officer shall sanction the Building/Layout Plan.
- 6. This notification shall come into force at once.
- 7. Bihar Building Bye Laws, 2014 is already effective for sanctioning of Building/Layout Plan in Urban Area(s) of Bodhgaya Planning Area. For sanctioning of plan(s) in these area(s) concerned Chief Municipal Officer shall remain Competent Authority as earlier.

By order of the Governor of Bihar,

(Chaitanya Prasad) Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No.-11नоविo / (माण्लान)—13 / 2014. 786 /UD&HD/Patna, dated -0.2/4/....2018

Copy to-Chairman, Bodhgaya Planning Area Authority-cum-Divisional Commissioner, Magadh Division, Gaya/ Vice Chairman, Bodhgaya Planning Area Authority-cum-District Magistrate, Gaya/ Chief Executive Officer-cum-Member Secretary, Bodhgaya Planning Area Authority/ All Members of Bodhgaya Planning Area Authority/ Concerned all Circle Officer for kind information and necessary action.

Principal Secretary,

Memo No.- 11न्ववि / (माव्यान)-13/2014. 786 / UD&HD/Patna, dated - 2014. 2018 Copy to-Suprintendant, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with C.D. for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary,

Memo No.-11नoविo / (माठप्लान)—13 / 2014... 786 / UD&HD/Patna, dated 2/ प्रिक्ट 2018 Copy to-Chief Secretary, Bihar, Patna/Development Commissioner, Bihar-cum-Chairman Bihar Urban Planning and Development Board/ All Member of Bihar Urban Planning and Development Board/ All Principal Secretary/Secretary/ Head of the Department/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/All Divisional Commissioner/ All District Magistrate for information and necessary action.

Principal Secretary, 2110

Memo No.-11नodo / (माठप्लान)—13 / 2014... 786 / UD&HD/Patna, dated - 2 / 1/ 2018 Copy to- Real Estate Regulatory Authority, Bihar /Officer on Special Duty, Real Estate Regulatory Authority(RERA), Bihar/ Municipal commissioner, All Municipal Corporation/ Chief Executive Officer, Patna Metropolitan Area Authority, Patna / Chief Executive Officer, All Planning Area Authority/ Executive officer, All Municipal Council and Nagar Panchayat/ All Officer, UD&HD, Bihar/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Urban Development & Housing Department, Bihar for information and necessary action.

Principal Secretary,

27/23/18